एफ सं. ए-12024/1/2014-एसआरए
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

Chief Secretary's Office
Dy. No. 93234
Date 18-7-18
Haryana

Diary No. 93234
Date 23/07/18

हरियाणा सिविल सचिवालय चण्डीगढ़
18 JUL 2018
93234
परिचालन संख्या

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22 जून , 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : निदेशक, भारतीय अनाज संचयन, प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़, का पद प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधिक अनुबंध के आधार सहित) द्वारा भरने के प्रस्ताव के संबंध में ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (अल्पावधिक संविदा आधार सहित) 7600/- ग्रेड वेतन के साथ 15,600-39,100 रुपये के वेतन बैंड-3 में निदेशक, भारतीय अनाज संचयन, प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़, के समूह 'क' राजपत्रित पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. पात्रता:- केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा अर्ध-सरकारी संगठन के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए पात्र हैं; जो:

(क) (i) नियमित आधार पर सादृश पद धारण किए हों; या

(ii) 15,600-39,100 रुपए के वेतन बैंड-3 में 6600 रुपये के ग्रेड वेतन सहित पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो:

अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या प्लांट पैथॉलजी या जैव रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी या जैव रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; तथा

(ii) किसी सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय में खाद्यान्नों के भंडारण और परिरक्षण से संबंधित पहलुओं सहित शिक्षण या अनुसंधान या विस्तार कार्य में दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय : जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जैव-रसायन अथवा कृषि विज्ञान की शाखा से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.एच.डी.।

नोट : विभागीय अधिकारी जो फीडर श्रेणी में पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।(किसी अन्य संगठन अथवा केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले कैडर-बाह्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

निदेशक, भा.अ.सं एवं प्र.अ. सं., हापुड़ के कर्तव्य

- अखिल भारत अनुसंधान भंडारण संबंधी समस्याओं का समन्वय करना;
- खाद्यान्नों के भंडारण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अनुसंधान करना और उसका मार्गदर्शन करना;
- भा.अ.सं एवं प्र.अ. सं., हापुड़ और इसके उप स्टेशनों में प्रशिक्षण आयोजित करना और देना।
- देश के विभिन्न भागों में भंडारण और फार्म तथा समुदाय स्तर की विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन आयोजित करना।
- भंडारण और खाद्यान्नों तथा भंडारण पीड़कों की विभिन्न समस्याओं पर अप्रयुक्त अनुसंधान करना और इनका मार्गदर्शन करना।

3. चयनित अधिकारी के पास उसके ग्रेड वेतन सहित प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता प्राप्त करने अथवा समय-समय पर यथा संशोधित, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक

05.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/29/91-स्थापना (वेतन-II), के अनुसार इस पद से संबद्ध वेतन के समय-मान में अपना वेतन नियत करने का विकल्प होगा।

4. अनुरोध है कि पात्र अधिकारी जिन्हें उनके चयन की स्थिति में तुरंत कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन संलग्न प्रोफार्मा में (तीन प्रतियों में) के साथ पूर्ण और अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर के साथ अग्रेषित करें ताकि इस परिपत्र के जारी होने के 60 दिनों के भीतर इस मंत्रालय में पहुंच जाएं। आवेदनों को अग्रेषित करते समय यह भी सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाए कि अधिकारियों द्वारा दिए गए विवरण सही हैं तथा उनके विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। गोपनीय रिपोर्ट डोजियर/सतर्कता क्लीयरेंस तथा सत्य निष्ठा प्रमाण पत्र एवं विगत 10 वर्षों के दौरान लगाए गए बड़े दंड/छोटे दंड, यदि कोई हों, के विवरण के बिना अथवा अन्यथा अपूर्ण पाए गए अथवा नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(के.के.गुईते)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि कृपया यह कार्यालय ज्ञापन सभी स्वायत्त निकायों एवं अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित सभी संबंधित को परिचालित करें और इसके विस्तृत प्रचार के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
3. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फेज-4, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 को इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति को तुरंत विज्ञापित करने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक निर्गम अनुदेश प्राप्त होने पर इसे रोजगार समाचार में अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किया जाए।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम/केंद्रीय भंडारण निगम/सीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली।

A-12024/1/2014-SRA
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

OFFICE MEMORANDUM

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 22nd June, 2018

Sub: Proposal to fill up the post of Director, IGMRI, Hapur on transfer on deputation (including short term contract basis) - reg.

Applications are invited for the post of Director , IGMRI, Hapur, a Group 'A' Gazetted post in the PB-3 Rs. of 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 7600/-In Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution by transfer on deputation (including short term contract).

Eligibility

2. Officers of Central Government or State Government or Union Territory or Autonomous bodies or Public Sector Undertakings or Statutory Organisations or Universities or Semi Government Organisation are eligible for transfer on deputation who have the following qualification;

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with four years' regular service in posts in the pay Band 3, Rs. 15600-39100 with Grade pay of Rs. 6600, and

(b) possessing the following educational qualifications and experience;

Essential: (i) Master's degree in Entomology or Plant Pathology or Bio-Chemistry from a recognised University; or

Master's degree in Agriculture with specialization in Entomology or Plant Pathology or Bio-Chemistry from a recognised University; or

Master's degree in Zoology or Botany with specialization in Entomology or Plant Pathology from a recognised University; and

(ii) Ten years' experience in teaching or research or extension' work, including aspects related to storage and preservation of food grains in Government Organisations Or public Sector Undertakings or Universities.

Desirable: Ph.D in Zoology or Botany or Bio-Chemistry or Agriculture from a recognised university.

Note: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion (period of deputation including the period of

deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications).

Duties of Director, IGMRI, Hapur

- To coordinate All India Research Storage problems
- To guide and carryout Research on important aspects of Storage of food grains;
- To organise and conduct training at IGMRI, Hapur and its substation.
- To organise study on various problems of storage and farm and community level in various parts of the country.
- To undertake and guide applied research on various problems of storage and food grains and storage posts.

3. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowances or to have his pay fixed in the time scale of the pay attached to this post in accordance with the DOP&T's O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay II) dated 05.01.1994, as amended from time to time.

4. It is requested that applications (in triplicate) in the enclosed Proforma, along with the complete and up-to-date confidential Reports Dossier of the officers eligible who could be spared immediately in the event of their selection, may kindly be forwarded so as to reach this Ministry within 60 days from the date of issue of this Circular. While forwarding the applications it may also be verified and certified that particulars furnished by the officers are correct and that no vigilance case is either pending or contemplated against them. Applications received after the due date or without the Confidential Reports Dossiers/Vigilance Clearance and Integrity Certificates and a statement of major/minor penalty, if any, imposed on the officers during the last 10 years or otherwise found incomplete will not be considered.

(K.K. Guite)
Deputy Secretary to the Government of India

1. All the Ministries/Departments of Government of India with request to circulate this OM to all concerned including Autonomous Bodies, PSUs etc under their administration control and get it displayed on the Notice Board for wide publicity.

2. Chief Secretaries of States/UTs

3. Bureau of Outreach and Communication, Ministry of Information and Broadcasting, Phase-IV, Soochna Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, with the request that this may be published in the Employment News on receipt of necessary release instructions from the Directorate of Advertising and Visual Publicity, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi to advertise the vacancy immediately.

4. The Secretary, UPSC, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi.

5. The CMD, FCI/CWC/CRWC, New Delhi.

6. The Chairman, Warehouse Development and Regulatory Authority, New Delhi.